संख्या-05/2018/2540/पन्चानवे-17-76 होगा/13 पार्ट-1

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाडर्स अनुभाग   लखनऊ दिनांक 09 फरवरी, 2018

विषय: आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत इन्सास राइफलों का क्रय।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10052/लेखा/आधु0-180/2012-13 (इन्सास राइफल) दिनांक 15.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत प्रति इन्सास राइफल रू0 73,540/- की दर से 135 इन्सास राइफलों के क्रय हेतु कुल रूपया 99,27,900/- (रूपये निन्नयाबे लाख सत्ताइस हजार नौ सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) 135 इन्सास राइफलों का क्रय नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग क्रय प्रक्रिया का पालन, समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों में दी गयी व्यवस्था के तहत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक प्रत्येक दशा में कर लिया जायेगा तथा व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि बचती है, तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि क्रय की गयी इन्सास राइफलों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि क्रय की जा रही 135 इन्सास राइफलों के मूल्य का भुगतान तभी किया जायेगा जब क्रय की गई वस्तु की आपूर्ति निर्धारित मानक के अनुरूप हो, एवं स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(5) उक्त इन्सास राइफलों के क्रय में यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष को होगा।

.......2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-74 के लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 05-होमगार्डस विभाग की आधुनिकीकरण योजना की मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने हेतु जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-05/2018/2540(1)/पन्चानवे-17 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अनु सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या--21011/18/2013-PM-I दिनांक 03.10.2013 के क्रम में।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, होमगाडर्स मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायत) अनुभाग।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाईल/बजट सहायक।

आज्ञा से,
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है